भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 282

(02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पश्चिम बंगाल में मनरेगा की बहाली

282. श्रीमती माला राय:

श्रीमती रचना बनर्जी:

श्री कीर्ति आज़ाद:

प्रो. सौगत रायः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के लिए चरणबद्ध अथवा एकमुश्त तरीके से निधि जारी करने का विचार हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके संवितरण को प्राथमिकता देने के लिए मानदंडों (यथा: बकाया मजदूरी पहले और नए कार्य बाद में) का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की इस योजना को पुनः आरंभ करने और इसकी निगरानी की प्रक्रिया में कितनी भागीदारी है;

(घ) 31 अक्तूबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए मार्च, 2022 से अब तक पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों की केन्द्र सरकार के पास राज्य-वार और वर्ष-वार कुल कितनी मजदूरी राशि और देनदारियां लंबित हैं;

(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 18 जून , 2025 के उस आदेश को यथावत रखा है जिसमें इस योजना को 1 अगस्त, 2025 से फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा के लिए पश्चिम बंगाल को बकाया निधि कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(छ) दिनांक 15-11-2025 की स्थिति के अनुसार उक्त योजना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को देय कुल निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ज) पश्चिम बंगाल में ग्रामीण परिवारों को तत्काल लाभ सुनिश्चित करने के लिए उक्त निधि का संवितरण किस प्रणाली द्वारा किया जाएगा?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग) और (च) से (ज): ग्रामीण विकास विभाग वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के कार्यान्वयन को पुनः आरंभ करने के लिए , तथा माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में , उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक पद्धतियों और प्रक्रियाओं को पुनः निर्धारित एवं परिष्कृत कर रहा है।

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के श्रम बजट में वृद्धि के प्रस्ताव को इस विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न किए जाने के कारण अनुमोदित नहीं किया गया। इसके पश्चात , राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशों का निरंतर अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 की धारा 27 के प्रावधानों के अंतर्गत , दिनांक 09.03.2022 से पश्चिम बंगाल राज्य को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत निधियों का जारी किया जाना भी रोक दिया गया था।

नरेगा-सॉफ्ट के अनुसार , पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित कुल लंबित देनदारियाँ (दिनांक 08.03.2022 तक) ₹3082.52 करोड़ हैं, जिनमें मजदूरी मद के अंतर्गत ₹1457.22 करोड़, सामग्री मद के अंतर्गत ₹1607.68 करोड़ तथा प्रशासनिक मद के अंतर्गत ₹17.62 करोड़ शामिल हैं। इन देनदारियों की स्वीकृतता केंद्र सरकार द्वारा सत्यापन के अध्यधीन है।

(घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत मजदूरी, सामग्री तथा प्रशासनिक मदों से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लंबित देयता का दिनांक 26.11.2025 की स्थिति के अनुसार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ङ): केंद्रीय सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका संख्या 25528/2025 से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान , दिनांक 27.10.2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 18.06.2025 के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

लोक सभा में दिनांक 02.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 282 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 26.11.2025 की स्थिति के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक मदों से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लंबित देयता का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मजदूरी	सामग्री	प्रशासनिक
1	आंध्र प्रदेश	381.02	530.45	27.51
2	अरुणाचल प्रदेश	4.70	142.01	0.86
3	असम	0.23	398.38	27.73
4	बिहार	7.04	385.88	14.67
5	छत्तीसगढ़	3.78	101.36	9.59
6	गोवा	0.00	0.43	0.02
7	गुजरात	46.98	18.96	8.39
8	हरियाणा	0.38	41.56	0.28
9	हिमाचल प्रदेश	15.18	65.66	0.40
10	जम्मू और कश्मीर	5.48	188.50	2.31
11	झारखंड	5.83	299.27	4.69
12	कर्नाटक	8.94	576.58	36.97
13	केरल	248.42	177.80	49.72
14	मध्य प्रदेश	64.14	655.03	44.06
15	महाराष्ट्र	14.32	668.80	23.03
16	मणिपुर	4.59	152.40	4.12
17	मेघालय	4.13	51.75	1.10
18	मिजोरम	91.43	0.25	0.75
19	नागालैंड	0.79	79.64	0.00
20	ओडिशा	11.76	218.06	2.11
21	पंजाब	0.12	110.51	1.57
22	राजस्थान	627.33	822.31	8.75
23	सिक्किम	0.10	2.40	0.02
24	तमिलनाडु	111.54	626.70	35.67
25	तेलंगाना	0.98	495.12	7.09
26	त्रिपुरा	2.93	144.29	27.04
27	उत्तर प्रदेश	5.98	1007.58	90.09

28	उत्तराखंड	0.41	44.99	2.94
29	पश्चिम बंगाल	**	**	**
30	अंडमान और निकोबार	0.00	0.03	0.00
31	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
32	पुदुचेरी	16.99	0.00	0.25
33	लद्दाख	0.46	1.78	0.10
34	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1.29	0.00	0.00
	कुल	1687.27	*8008.48	431.83

* सामग्री मद की लंबित देयता में वित्तीय वर्ष 2025-26 (नरेगा-सॉफ्ट के अनुसार) तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 (वास्तविक) की लंबित देयता सम्मिलित है। मजदूरी एवं प्रशासनिक मदों के अंतर्गत पिछले वर्ष की कोई लंबित देयता नहीं है।

** नरेगा-सॉफ्ट के अनुसार , पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित कुल लंबित देयता (दिनांक 08.03.2022 तक) ₹3082.52 करोड़ है, जिसमें मजदूरी मद के अंतर्गत ₹1457.22 करोड़, सामग्री मद के अंतर्गत ₹1607.68 करोड़ तथा प्रशासनिक मद के अंतर्गत ₹17.62 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस देयता की स्वीकृतता केंद्र सरकार द्वारा सत्यापन के अध्यधीन है।